

न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मु0 नं0	दायर दिनांक	अ.धा.	निर्णय दिनांक
17 / 2021	24.06.2021	91 एल.आर.एक्ट	11.08.2021

सरकार बनाम रामकुमार पुत्र हणमान जाति माली निवासी ढाणी डूंगरी दीपपुरा

11.08.2021 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ककराना द्वारा संवत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना के भूमि खसरा नं0 79 रकबा 3.28 है0 किस्म गै0मु0 नदी के 1.00 है0 रकबे पर रामकुमार पुत्र हणमान जाति माली निवासी ढाणी डूंगरी दीपपुरा ने फसल काश्त व बोरिंग मय विधुत कनेक्शन, एक पक्कन ईटो का मकान व पानी की टंकी बनाकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का ककराना के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते तलबी एवं जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली रखा गया। अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमित रकबे के कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

रिपोर्ट पटवारी हल्का, अप्रार्थी जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना के भूमि भूमि खसरा नं0 79 रकबा 3.28 है0 किस्म गै0मु0 नदी के 1.00 है0 रकबे पर अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0 अ0 नि0 चवंरा को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली पेश करने हेतु लिखा जावे।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 24.71 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 1236/- रु मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 11.08.2021 को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी